# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर
## पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.
(प्रथम लिंक अधिकारी)

2025-482RAABarmer2025-45RTA223 Kishanaram Vs Samadi etc

किशनाराम गोदपुत्र भोलूराम जाति विश्नोई निवासी लोहारकी तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म

1. समदी पुत्री भोलू पुत्र फूसा उर्फ फूला पत्नी बलवन्ताराम जाति विश्नोई निवासी भौजाकोर तहसील लोहावट जिला फलौदी।
2. सुवटी के कायम मुकाम :–
   2.1. मांगीलाल पुत्र लाधूराम
   2.2. संतोष पुत्र लाधूराम
   2.3. परमी पुत्री लाधूराम
   जाति विश्नोई निवासी पीलवा तहसील लोहावट जिला फलोदी।
3. शाखा प्रबन्धक एस बी आई बैंक शाखा रामदेवरा
4. तहसीलदार पोकरण
5. भंवरी देवी पत्नी मांगीलाल
6. भलमती पत्नी श्रवण कुमार
   जाति विश्नोई निवासी भोजाकोर तहसील देचू जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03 नवंबर 2022 सहायक कलक्टर पोकरण राजस्व मूल वाद संख्या 16/2022 सुवटी बनाम किशनाराम इत्यादि**

---

**उपस्थित–**
श्री मोहनलाल विश्नोई, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री कैलाश एन. सारण, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01 से 2/3, 05 व 06

## नि र्ण य

दिनांक : 13 मई 2026

अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 16/2018 अनवान गेनाराम व अन्य बनाम मांगाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 अगस्त 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 15 सितंबर 2025 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक /वादीनी ने स्वयं को खातेदार भौला पुत्र फूसा उफ फूला की पुत्री/वारिसान् होना बताते हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 188 के तहत वादग्रस्त आराजीयात ग्राम लोहारकी पटवार हल्का लोहारकी तहसील पोकरण के खेत खसरा नम्बर 730/109 रकबा 13.6784 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 731/146 रकबा 1.402 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 732/184 रकबा 6.9768 हैक्टेयर कुल रकबा 22.0554 हैक्टेयर के संबंध में खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय द्वारा वादीनी की सुनवाई उपरांत अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये वाद स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीनी ने वादग्रस्त भूमि के संबंध में दावा प्रस्तुति के वक्त जमाबंदी में दर्ज खातेदार, जिसके विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है, उसे वाद में पक्षकार नहीं बनाया। वादीनी ने वाद–पत्र में किशनाराम पुत्र भोलू पुत्र फूसा उर्फ फूला के विरूद्ध दावे में अनुतोष चाहा है तथा पक्षकार किशनाराम पुत्र रिड़मलराम को बनाया है, जबकि जमाबंदी में अपीलांट की वल्दियत किशनाराम पुत्र भोलूराम दर्ज है। विचारण न्यायालय द्वारा भी किशनाराम पुत्र रिड़मलराम के नाम से नोटिस जारी किया गया है, जबकि वाद में वर्णित भूमि में किशनाराम पुत्र रिड़मलराम के नाम की भूमि नहीं है। वादीनी ने अपीलांट की गलत वल्दियत अंकित करते हुए अपीलांट के सम्मन गलत रूप से तामील करवाते हुए उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करवाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित करवाकर अपीलांट की खातेदारी को विलोपित करवाया गया है। यह उल्लेखनीय है कि खातेदार उत्तरदाता संख्या 1 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 मानकर भूमि का बक्सीसनामा श्रीमती भंवरी व भलवन्ती को कर दिया गया, जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने उत्तरदाता संख्या 1 को भी वादग्रस्त आराजीयात में 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित कर दिया गया हैं, लेकिन उत्तरदाता संख्या 1 ने सम्पूर्ण भूमि में अपना 1/2 हिस्सा मानकर उक्त 1/2 हिस्से की भूमि का आगे हस्तान्तरण अपनी पुत्रवधु को कर दिया गया है। उत्तरदाता संख्या 1 व 2 भोलूराम की पुत्रीयां नहीं थी। भोलूराम ने अपने जीवन काल में ही पैतृक सम्पति का बंटवाड़ा कर दिया था तथा कोई जाईन्दा संतान नहीं होने पर अपीलाण्ट को गोदपुत्र बना लिया था तथा वर्ष 1995 में अपीलांट के पक्ष में रजिस्टर्ड गोदनामा निष्पादित करवा दिया था। जब अपीलाण्ट भोलूराम के गोद गया, उस समय अपीलाण्ट के प्राकृतिक पिता जीवित नहीं थे। इस कारण अपीलांट के गोद चले जाने से पूर्व ही अपने पिता की खातेदारी भूमि में उसे अधिकार प्राप्त हो गये थे। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त सभी तथ्यों पर गौर किये बिना तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किये गये है। ऐसी स्थिति में आलौच्य निर्णय व डिकी विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त करने के काबिल है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मनों की सम्यक् तामील करवाये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से अपीलांट को तत्समय जानकारी नहीं हो सकी। अपीलाण्ट ने पटवारी हल्का से अपने खेत की केसीसी की लिमिट बढाने के लिए नकलें ली, तब पटवारी हल्का ने बताया कि उक्त खेत में श्रीमान् सहायक कलेक्टर पोकरण के समक्ष समदा देवी द्वारा खातेदारी घोषणा का वाद पेश कर निर्णय पारित करवा लिया है। तब अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में जाकर पता कर एकपक्षीय निर्णय व डिक्री की नकलें दिनांक 11.09.2025 को ली, तब अपीलाण्ट को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अपीलांट द्वारा प्रथम जानकारी से हस्तगत अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 16/2018 अनवान गेनाराम व अन्य बनाम मांगाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 अगस्त 2025 को अपास्त किया जावे एवं मामला उभय पक्ष की समुचित सुनवाई उपरांत विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में उतरदातागण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात रेस्पो. की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है। अपीलांट किशनाराम ने मिलीभगत कर अपने आप को स्व. भोलूराम का गोद पुत्र बताकर उक्त सम्पूर्ण भूमि अपने नाम दर्ज करवायी गई है, जबकि भोलू पुत्र फूला के दो जाईन्दा पुत्रीयॉ वादीनी समदी व प्रतिवादी संख्या 2 सुवटी थी। वादीनी समदी एवं प्रतिवादीनी सुवटी स्व. भोलू की जायंदा पुत्रीया होने से वे वादग्रस्त आराजीयात मे पुश्तैनी आधार पर अपने अधिकार रखती है। अपीलांट द्वारा दिनांक 22.12.1995 को भोलूराम पुत्र फुलाराम द्वारा उसे गोद लिया जाकर गोदनामा पंजीकृत करवाना बताया है, परन्तु उक्त गोदनामा में गोद आने वाले तो हाजिर बताया है, परन्तु किसने गोद दिया, किस तारीख को गोद दिया, किसके सामने रश्म की, यह नहीं लिखा है। इस प्रकार उक्त गोदनामा नियम विरूद्ध व कानूनी निगाह में शून्य है। कानूनन गोद लेने वाला व गोद देने वाले दोनों माता–पिता की

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सहमति से ही गोद ले व दे सकते है। अपीलांट द्वारा उक्त कूट रचित गोदनामा के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात अपने नाम दर्ज करवा ली। अपीलांट द्वारा अपने प्राकृतिक पिता की भली संपति अपने नाम दर्ज करवा ली है। कानूनन गोद जाने के बाद अपीलांट अपने प्राकृतिक पिता की संपति में कोई अधिकार नहीं रखता है। यह उल्लेखनीय है कि रेस्पो. द्वारा उक्त कूट रचित गोदनामा को सिविल न्यायालय में चुनौती दी जा चुकी है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत अपीलांट पर सम्मनों की सम्यक तामील करवायी गई है। बाद तामील अपीलांट के उपस्थित नहीं होने पर विचारण न्यायालय द्वारा मूलवाद मे वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत विधिनुसार सुनवाई उपरांत विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित पाये जाने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के तकनीकी बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर पत्रावली पर उपलब्ध पंजीबद्ध गोदनामा दिनांक 22 दिसंबर 1995 के मुताबिक अपीलांट किशनाराम को खातेदार भोलूराम पुत्र श्री भूलाराम द्वारा पंजीबद्ध गोदनामा के जरिये गोद लिया जाना प्रकट होता है। अपील मीमों एवं वादग्रस्त आराजीयात की जमाबंदी के मुताबिक अपीलांट किशनाराम की वल्दियत किशनाराम गोदपुत्र भोलूराम दर्ज है। वादीनी द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वाद में अपीलांट के वल्दियत किशनाराम गोदपुत्र भोलूराम के स्थान पर किशनाराम पुत्र रिड़मलराम अंकित कर वाद प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त गलत वल्दियत के सम्मन अपीलांट पर जारी कर, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों अनुसार अपीलांट पर सम्मन की सम्यक रूप से तामील करवाये बिना, प्रस्तुत पोस्टल रसीद के आधार पर अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही लायी जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किये जाने पाये जाते हे। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते हैं।

वस्तुतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांटस आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सिणधरी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 16/2018 अनवान गेनाराम व अन्य बनाम मांगाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 अगस्त 2025 निरस्त किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मूल वाद का पुनः विधिनुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर